

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियिमन) विधयक-2020

प्रलिम्सि के लिये:

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियिमन) विधयक-2020, इन विट्रो फर्टलाइज़ेशन, सरोगेसी (वनियिमन) विधयक, 2019

मेन्स के लिये:

सहायक प्रजनन तकनीक (वनियिमन) वधियक-2020 से संबंधित चिताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधियक-2020 [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill-2020] को लोकसभा में Vision पेश किया गया था।

प्रमुख बद्धिः

- सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology-ART):
 - सहायक प्रजनन तकनीक का प्रयोग बाँझपन की समस्या के समाधान के लिये किया जाता है। इसमें बाँझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं।
 - ॰ इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिये शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है । इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है।
 - ॰ <u>इन वटिरो फरटलाइज़ेशन</u> (In Vitro fertilization- IVF), ART का सबसे सामान्य और प्रभावशाली प्रकार है।
- 'सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) विधियक-2020' का उद्देश्य:
 - ART बैंकों एवं क्लीनिकों को विनियमित करना।
 - ART के सुरक्षित एवं नैतिक अभ्यास की अनुमति देना।
 - ॰ महलाओं एवं बच्चों को शोषण से बचाना।
- अनुपूरक स्थिति (Supplementary Status):
 - ॰ इसे सरोगेसी (वनियिमन) विधियक, 2019 (Surrogacy (Regulation) Bill (SRB), 2019) के पूरक के रूप में पेश किया गया था, जिसका उददेशय भारत में वाणिजयिक सरोगेसी पर रोक लगाना है।
 - यह विधेयक ART के लिये सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करने हेतु SRB के तहत सरोगेसी बोर्डों को नामित करता है।

चिताएँ:

- पहुँच में भेदभाव (Discrimination in Accessibility):
 - ॰ यह विधेयक एक शादीशुदा हेट्रोसेक्सुअल जोड़े (Married Heterosexual Couple) और शादी की उम्र से अधिक की एक महिला को ART का उपयोग करने की अनुमत दिता है, जबक एकल पुरुषों, साथ रहने वाले विषमलैंगिक जो<u>डों एवं एलजीबीटीक्यू</u>+ (LGBTQ+) व्यक्तियों या जोड़ों को ART का उपयोग करने से रोकता है।
 - ॰ यह वधियक भारतीय संवधान के अनुच्छेद 14 और व<u>रष 2017 के पटटासवामी मामले के नजिता के अधिकार कषेतर</u> का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है।
 - ॰ <u>नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ</u> (2018) मामले में राज्यों को सलाह दी गई कि वे समान लिग वाले जोड़ों की समान सुरक्षा के लिये सकारात्मक कदम उठाएँ।
 - SRB के विपरीत ART के तहत विदेशी नागरिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है कितु यह सभी भारतीय नागरिकों को वंचित करता है जो एक अतार्किक निष्कर्ष है, यह भारतीय संविधान की मूल भावना को प्रतिबिबिति करने में विफल रहा है।
 - ॰ यह वर्धियक एक बच्चे (कम-से-कम 3 वर्ष का) वाली विवाहति महिला के अंडा दान करने पर प्रतिबिंधित लगाता है । हालाँकि परोपकारी कार्य के रूप में अंडा दान केवल एक बार संभव है यदि महिला ने विवाह के पितृसत्तात्मक संस्थान के लिये अपने कर्तव्यों को पूरा किया हो।

दाताओं के लिये निम्न या कोई सुरक्षा नहीं:

- यह विधेयक अंडा दाता को बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। अंडों का विच्छेदन एक आक्रामक प्रक्रिया है, इसे यदि गलत तरीके से किया जाता है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है।
- ॰ इस विधेयक में अंडा दाता की लिखिति सहमति को आवश्यक बताया गया है, कितु प्रक्रिया के पहले या प्रक्रिया के दौरान दाता के परामर्श की आवशयकता या उसके दवारा दी गई सहमति वापस लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।
- ॰ एक महिला को वेतन, समय एवं प्रयास को लेकर हुए नुकसान के लिये कोई क्षतपूर्ति नहीं मिलती है।
- ॰ शारीरिक सेवाओं के लिये भुगतान करने में नाकाम होना गैर-स्वतंत्र श्रमिक की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध घोषित किया गया है।
- कमीशनिग दलों को केवल चिकित्सा की जटिलताओं या मृत्यु के लिये उसके नाम पर एक बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जिसमें कोई राशिया समयसीमा निर्दिष्ट नहीं है।

• अस्पष्टता (Ambiguity):

- ॰ इस विधेयक में प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक (Pre-implantation Genetic) परीक्षण की आवश्यकता बताई गई है और जहाँ भ्रूण पूर्व-विदयमान, पैतृक, आनुवंशिक रोगों' से ग्रस्त होता है, उसे कमीशनिंग दलों की अनुमति से अनुसंधान के लिये दान किया जा सकता है।
 - इन विकारों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और यह बिल जोखिम वाले यूजेनिक्स (Eugenics) के एक अभेद्य कार्यक्रम को बढावा देता है।
 - यूजेनिक्स विशिष्ट वांछनीय वंशानुगत लक्षणों वाले लोगों का चयन करके मानव प्रजातियों में सुधार करने का अभ्यास
 है।

सूचना का अप्रकटीकरण:

• ART से पैदा हुए बच्चों को अपने माता-पिता को जानने का अधिकार नहीं है, जो उनके सरवोत्तम हितों के लिये महत्तवपूरण है।

ART और SRB के मध्य असंतुलन:

- ॰ यद्यपि यह बिल और SRB क्रमशः ARTs एवं सरोगेसी को विनयिमित करते हैं, इससे दोनों क्षेत्रों के बीच काफी दुहराव उत्पन्न होता है।
- कोर ART प्रक्रियाओं को अपरिभाषित छोड़ दिया जाता है और उनमें से कुछ को एसआरबी में परिभाषित किया जाता है कितु इस बिल में इसे परिभाषित नहीं किया गया है।
- ॰ दोनों विधेयकों के तहत एक ही निषधात्मक व्यवहार के लिये अलग-अलग दंड का प्रा<mark>व</mark>धान किय<mark>ा गया</mark> है और <mark>कभी</mark>-कभी SRB के तहत अधिक दंड का भी प्रावधान है ।
 - ॰ इस वधियक के तहत अपराध, जमानती हैं कितु SRB के तहत नहीं।
- ॰ इस विधेयक के तहत रिकॉर्ड को 10 वर्ष तक बनाए रखा जाना चाहिये कितु SRB के <mark>तहत</mark> इसकी अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है।

दुहराव की स्थितिः

॰ दोनों विधेयकों ने पंजीकरण के लिये कई निकायों की स्थापना की जिसके <mark>परि</mark>णामस्<mark>वरूप</mark> दुहराव बढ़ेगा और विनियमन की कमी होगी।

युग्मकों की कमी (Gamete Shortage):

- ॰ युग्मकों (Gamete) की कमी होने की संभावना है क्योंकि इस बात पर <mark>कोई</mark> स्<mark>पष्ट</mark>ता नहीं है कि क्या युग्मकों को अब ज्ञात मित्रों एवं रशितेदारों को उपहार में दिया जा सकता है जिसके बारे में पहले अनुमति नहीं थी।
 - ॰ युग्मक एक जीव की प्रजनन कोशकि।एँ हैं । इन्हें सेक्स कोशकि।ओं के रूप में भी जाना जाता है । महिला युग्मकों को ओवा (Ova) या अंडा कोशकि।एँ कहा जाता है और पुरुष युग्मकों को शुक्राणु कहा जाता है ।

सज़ा में वृद्धिः

- इस विधेयक और SRB के तहत 8-12 वर्ष की सज़ा एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषिध) अधिनियिम, 1994 के खराब प्रवर्तन से पता चलता है कि सज़ा में की गई वृद्धि इसके अनुपालन को सुरक्षित नहीं करती है।

आगे की राह:

- कुलीनिकों में नैतिकता समितियाँ होनी चाहिये और अनिवार्य परामर्श सेवाएँ उनसे स्वतंत्र होनी चाहिये।
- 'विधियक के पूर्व संस्करणों में भ्रूण का उपयोग करके अनुसंधान को विनियमित किये जाने का प्रावधान था' जिसे पुनः वापस लाया जाना चाहिये। साथ ही इस विधियक और SRB के मध्य 'युगल', 'बांझपन', 'ART क्लीनिक' एवं 'बैंकों' की परिभाषाओं को लेकर आपस में तालमेल होना ज़रूरी है।
- सभी ART निकायों को राष्ट्रीय हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों से तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता एवं नैतिकता से संलग्न होना चाहिये।
- इस विधेयक से संबंधित लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली सभी संवैधानिक, चिकित्सीय-कानून, नैतिक एवं नियामक चिताओं के बारे में पहले अच्छी तरह से समीक्षा की जानी चाहिये।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस